

क्रमांक: प.15 (05) वि.मा./2012/पार्ट


जयपुर, दिनांक : 21.11.2024

आदेश/परिपत्र

विषय : Laxmi Vilas Bank Limited को सामान्य बैंकिंग हेतु मान्य बैंकों की सूची से हटाने बाबत।

वित्त (मार्गोपाय) विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 20.02.2024 द्वारा राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों की निधियों को बैंक खातों में जमा एवं निवेश (Deposites and Investments) कराने से संबंधित दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त परिपत्र दिनांक 20.02.2024 में संशोधन करते हुये क्रम संख्या 17 पर अंकित Laxmi Vilas Bank Limited का नाम सामान्य बैंकिंग हेतु मान्य बैंकों की सूची में विलोपित किया जाता है।

  
(पवन जैमन) 20.11.24  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उपमुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्य मंत्रीगण।
7. समस्त नियम अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
9. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक।
10. समस्त राजकीय संस्थाएं/निकाय/उपक्रम, राजस्थान।
11. समस्त कोषालिधकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त अधिकृत बैंक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

20.11.24

2/2